



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 आ.प्र.सं.

संख्या – 452 वर्ष 2026

राधे श्याम

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ

एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : ऋतू सिंह, शिवांशु उपाध्याय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या –12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन प्रार्थी की ओर से थाना संगीपुर, जिला प्रतापगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 308/2021, धारा 147, 148, 323, 504, 506, 352, 308 भा.द.सं. के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

उनका तर्क है कि सह-अभियुक्त कन्धई को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

951/2025 (धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता) में दिनांक 10.09.2025 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि घायल पर हमला करने की सामान्य भूमिका आरोपित की गई है और घायल ने भी किसी विशिष्ट अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी है। उन्होंने जोड़ा कि प्रार्थी ने जांच कार्यवाही में सहयोग किया है और मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः प्रार्थी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मुशीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 116** में प्रतिपादित सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार, किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रार्थी यह वचन देता है कि वह विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा और जब भी आवश्यकता होगी, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है तथा उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की प्रबल आशंका है, अतः उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए जिसका वह दुरुपयोग नहीं करेगा।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि उसने अपराध कारित किया है, अतः वह किसी राहत का हकदार नहीं है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, यह न्यायालय इसे अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है।

वर्तमान प्रार्थी **राधे श्याम** को उपरोक्त वाद अपराध (**उपर्युक्त**) में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू (सॉल्वेंट श्योरिटी) प्रस्तुत करे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

- (i) कि प्रार्थी आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) कि प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(iii) कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) यह कि आरोप पत्र दाखिल किए जाने की स्थिति में, प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(v) यह कि प्रार्थी अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं;

(vi) यह कि प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो;

(vii) यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 जून, 2026

राम मूर्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।